फारम सं0-563

| क्रम संख्या | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| | 2 | 3 |

अभिलेख उपस्थापित।

7/6/23 (1)उमेश कुमार ठाकुर, पिता तेजु ठाकुर (2)खिरोधर ठाकुर, पिता स्व0 रमन ठाकुर, ग्राम-हरली, पोस्ट-हरली, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-हरली, थाना नं0-113, खाता संख्या-67, प्लॉट संख्या-1146, 441, रकवा-2.40डी0, 03डी0 कुल रकवा-5.40 डी0 भूमि मो0 विलखी देवी, पति स्व0 अर्जुन ठाकुर, ग्राम-हरली, पोस्ट-हरली, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकों एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-222/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1132/रा0 दिनांक-09.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, बड़कागांव को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के पत्रांक 352 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत खैदु हजाम वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 03.67 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 03.67 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-80/1 पर खैदु हजाम वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2019-20 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदकों के हिस्से की भूमि 70 डी0 है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदकों के पास रकवा 64.6 डी0 भूमि बचेगी। आवेदकों को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा की छायाप्रति प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। | |
| | उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बड़कागांव हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)उमेश कुमार ठाकुर, पिता तेजु ठाकुर (2)खिरोधर ठाकुर, पिता स्व0 रमन ठाकुर, ग्राम-हरली, पोस्ट-हरली, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बड़कागांव, ग्राम-हरली, थाना नं0-113, खाता संख्या-67, प्लॉट संख्या-1146, 441, रकवा-2.40डी0, 03डी0 कुल रकवा-5.40 डी0 भूमि मो0 चिलखी देवी, पति स्व0 अर्जुन ठाकुर, ग्राम-हरली, पोस्ट-हरली, थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। | |
| | लेखापित एवं संशोधित<br>अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।      अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। | |

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.19 13:31:49 +05:30
Location: 192.168.43.127